न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 39/21

GCMS NO 2021/22

1. रमेश पुत्र जयचंद जाति मीना निवासी सलौना तहसील गंगापुर सिटी
2. नीलकमल पुत्र रमेश जाति मीना निवासी सलौना तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. किशन पुत्र जयचंद
2. गुल्लो बेवा स्व0हजारी
3. रामकेश पुत्र हजारी
4. रामराज पुत्र स्व0हजारी जातियान मीना निवासीयान सलौना तहसील गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 4/19 निर्णय दिनांक 2.3.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम

अभिभाषक रैस्पो0 श्री आर0डी0त्रिवेदी

दिनांक 27.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 2.3.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थीयान की और से एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान के वंशवृक्ष के अनुसार जयचंद के चार पुत्र किशन,राजू,हजारी और रमेश हुए है। इनमे हजारी की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी पत्नि गुल्लो तथा पुत्र रामकेश ,रामराज व लडडू है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के पति व प्रार्थी संख्या 3 व 4 व लडडूराम के पिता हजारी तथा अप्रार्थी संख्या 1 रमेश व स्वर्गीय राजू खास भाई है। राजू का दिनांक 16.12.18 को अविवाहित निधन हो गया है। पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि वाके ग्राम सलौना तहसील गंगापुर सिटी मे ख0न0 1041 रकबा 0.45 है0, 1301 रकबा 0.36 है0 , 88 रकबा 1.76 है0, 978 रकबा 1.37 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3. 94 है0 रही है। इस भूमि मे प्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा 1/4, प्रार्थी संख्या 2 के पति व प्रार्थी संख्या 3 व 4 तथा लडडूराम के पिता स्व0हजारी [illegible] हजारी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी संख्या 2,3,4 व लडडूराम के नाम अन्तरित हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 1 रमेश का हिस्सा 1/4

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रहा है। सम्वत 2073 से 2076 की जमाबंदी मे सैग्रीगेशन के आधार इन्द्राजात हुए है। जिसमे अनुसार प्रार्थी संख्या 2 के नाम 1/16 प्रार्थी संख्या 3 व 4 तथा लडडूराम प्रत्येक के नाम 1/16, 1/16,1/16 हिस्सा दर्ज हुआ है। तथा प्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/4 अप्रार्थी संख्या 1 रमेश के नाम 1/4 तथा राजू के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ है। राजू पुत्र जयचंद का निधन हो चुका है। जो अविवाहित था। इस कारण उसका भूमि मे हिस्सा 1/4 के उत्तराधिकारी प्रार्थी संख्या 1 किशन, प्रार्थी संख्या 3 व 4 रामकेश ,रामराज पुत्रान स्व0हजारी व लडडूलाल पुत्र हजारी तथा अप्रार्थी संख्या 1 रमेश है। राजू की इस 1/4 हिस्से की भूमि मे प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/12 प्रार्थी संख्या 3 व 4 व लडडूराम का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/12 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/12 बनता है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 रमेश लालची एवं झगडालू किस्म का व्यक्ति है वह अपने पुत्र नीलकमल को अनुचित प्रभाव मे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से राजू के देहान्त के कुछ समय पश्चात दिनांक 27.12.18 को राजू के हिस्से 1/4 की भूमि का नामा0 राजस्व रिकार्ड मे हम सब उसके उत्तराधिकारी अपने नाम अपने अपने हिस्सा करवा लेने की कहॉ तो वह नाराज हो गया व कहॉ कि राजू के हिस्से की समस्त भूमि को अपने नाम कराने की कहॉ तथा इसके बाबत राजस्व कर्मचारियो से बात होने की बात कही। तुम्हे कोई हिस्सा नही देगे। न काश्त करने देगे। इस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार गगापुरसिटी से नामा0 खुलवाने की कही तो कोई सुनवाई नही हुई। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द किया जावे कि भूमि ख0न0 1041,1301,88,978 ग्राम खूटला तहसील गंगापुर सिटी मे प्रार्थी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे न ही अन्य किसी से करावे व मौजूद रिकार्ड मे दर्ज व्यक्तियो के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नही करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण /रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात मे राजू पुत्र जयचंद का हिस्सा 1/4 की भूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया गया है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अंकित किया है कि प्रार्थीगण का यह कहना कि हक त्याग पत्र कूटरचित है तथा दोनो पक्षो मे ही कब्जे के संबंध मे स्पष्ट अभिलेख प्रस्तुत नही किया है, नितान्त गलत है। हक त्याग सही है या गलत ... निर्णय करने का राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इसके बावजूद भी ... अधिनस्थ न्यायालय ने हक त्याग के कूटचरित होने के संबंध मे निर्णय पारित ... अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे के संबंध मे मे भी अपनी गलत फाईडिंग दी है। जबकि ... प्रार्थी को मौके पर हिस्सा 1/2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कब्जा है तथा रेस्पो0 का हिस्सा 1/2 पर कब्जा है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी यह फाईडिंग मे भूल की है कि एक सहखातेदार के हक मे किया गया हक त्याग सभी सहखातेदारो के हक मे किया गया है हक त्याग माना जाता है नितान्त गलत है। रेस्पो0 का अपीलार्थी के हक मे हक त्याग की गई भूमि पर कोई कब्जा नही है। अपीलार्थी ही उसका एक मात्र मालिक है। रेस्पो0 को कोई प्राईमाफेसी केस नही है। सुविधा का संतुलन भी रेस्पो0 के हक मे नही है। अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त भी रेस्पो0 के पक्ष मे नही है क्योकि सिविल कोर्ट से जब तक हक त्याग निरस्त नही हो जाता है तब तक रेस्पो0 को अपीलार्थी को हक त्याग से प्राप्त की गई भूमि से कोई संबंध नही रहता है। राजू ने अपने जीवनकाल मे ही अपने हिस्से की 1/4 भूमि का हक त्याग रेस्पो0/अप्रार्थी संख्या 1 रमेश के हक मे रजिस्टर्ड करवा दिया है तथा राजू के हिस्सा 1/4 पर हक त्याग के दिन से ही अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 रमेश का कब्जा चला आ रहा है। राजू के हिस्सा 1/4 की भूमि पर किशन,गुल्लो,रामकेश व रामराज का ना तो कब्जा है ना ही कोई संबंध है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात मे मृतक राजू का 1/4 हिस्सा रहा है। राजूलाल के अविवाहित निधन हो जाने के उपरान्त उसकी 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रार्थी/रेस्पो0किशन 1/12 हिस्सें मे, अप्रार्थी रमेश 1/12 हिस्से मे तथा मृतक हजारी के वारिस 1/12 मे उत्तराधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 रमेश जबरन राजूलाल की भूमि पर कब्जा करना चाहता है इसके लिए वह तथाकथित हकत्याग पत्र का सहारा ले रहा है। हक त्याग पत्र कूटरचित है। क्योकि इस हक त्याग मे एक गवाह रमेश का पुत्र नीलकमल भी है। बैसे भी कानून हक त्यागपत्र के आधार पर मात्र रमेश को वादग्रस्त भूमि मे मृतक राजू के हिस्से पर कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। अपीलांट मृतक राजूलाल की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जबकि इसमे उनका मात्र 1/12 हिस्सा बनता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि पर कब्जा किसी भी पक्ष का नही माना है। विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसके संबंध मे वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। चूकि अधिकार दावे मे तय किये जावेगे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र मृतक राजू के उक्त आराजीयात मे हिस्सा 1/4 की हद तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक कायम रखे जाने के आदेश पारित किये गये है। जो विधिक रूप से सही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसके संबंध मे वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। चूकि अधिकार दावे मे तय किये जावेगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र मृतक राजू की आराजीयात मे हिस्सा 1/4 की हद तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक कायम रखे जाने के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार मृतक राजू के हिस्से की आराजीयात मे अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

किसी प्रकार का प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन साबित नही होने से अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मुकदमा 4/19 मे पारित निर्णय दिनांक 2.3.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner